

नई शिक्षा नीति-2020 : अवसर एवं चुनौतियां

डॉ.विष्णु कुमार शुक्ल
(असि.प्रो, अर्थशास्त्र)

सी.जी.एन. (पी.जी.) कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ-खीरी

शिक्षा का अर्थ सीखने की प्रक्रिया से है। यह एक ऐसा साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि देश को विकास की गति देने वाली शिक्षा व्यवस्था भी प्रावैगिक हो। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को मंजूरी दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारभूत रखेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विविध की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव भी माँगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभवों तथा के.कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के सापेक्ष स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

भारतीय शिक्षा की विकास यात्रा

a. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

- स्वतंत्र भारत में शिक्षा यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी।
- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया।
- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस।
- शिक्षा नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
- शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा।
- माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।

b. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

- इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।



- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये 'ऑपरेटिंग ब्लैकबोर्ड' लागू किया।
- इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आव्हान किया गया।

C. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
- इंजीनियरिंग और अर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination.JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance.AIEE) तथा राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की।
- इससे प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

d. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिन्दु

i. प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक प्राद्यक्रम का दो समूहों में विभाजन।
- नई शिक्षा नीति में अब स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के अन्तर्गत पढ़ाया जाएगा।



- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये ऑगनवाड़ी/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundation Literacy and Numeracy) की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

ii. भाषायी विविधता को संरक्षण

- नई शिक्षा नीति -2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

iii. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरनशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Education Research and Training- NCERT) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence-AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

iv. शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति।



- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers-NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

v. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान

- नई शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- नई शिक्षा नीति -2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्राण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- 1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit-ABC) दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जायेगा।

vi. भारत उच्च शिक्षा आयोग

- चिकित्सक एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा।
- HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है।
- विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council- NHERC)
- मानक निर्धारण- सामान्य शिक्षा अनुदान परिषद (General Education Council-GES)
- वित्त पोषण-उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
- प्रत्यायन- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council-NAAC)



○ दे"ा में आई.आई.टी (IIT) और आई.आई.एम (IIM) के समकक्ष वै"विक मानकों के बहुविषयक िक्षा एवं अनुसंधान वि"विद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities-MERU) की स्थापना की जाएगी।

नई िक्षा नीति की चुनौतियाँ

a. महंगी िक्षा: नई िक्षा नीति में विदे"ी वि"विद्यालयों के प्रवे"ा का मार्ग प्र"स्त किया गया है, विभिन्न िक्षाविदों का मानना है कि विदे"ी वि"विद्यालयों के प्रवे"ा से भारतीय िक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च िक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

b. िक्षकों का पलायन: विदे"ी वि"विद्यालयों के प्रवे"ा से भारत के दक्ष िक्षक भी इन वि"विद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।

c. िक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार िक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

d. संसद की अवहेलना: विपक्ष का आरोप है कि भारतीय िक्षा की द"ा व दि"ा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय िक्षा नीति- 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।

e. मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक िक्षा के क्षेत्र में कु"ाल िक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय िक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक िक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं हैं।

भारत में लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक िक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिकां"ा बच्चों, जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों और दिव्यांग समूहों से सम्बन्धित है एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी से सम्बन्धित है यह सामान्य रूप में देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप िक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। वि"व बैंक की वि"व विकास रिपोर्ट 2018 दी लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस के अनुसार, भारत की िक्षा प्रणाली बदतर स्थिति में है। िक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विफल होने का खतरा है। इसका कारण िक्षा नीति में बदलाव करते समय रोडमैप का पालन नहीं करना और नीतियों को बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में िक्षा के बुनियादी ढांचे में निवे"ा किया हो ऐसा हो सकता है लेकिन यह अपेक्षाकृत सफल नहीं रहा है। नई िक्षा नीति प्रणाली के सामने एक चुनौती िक्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा (CAG) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, एकल िक्षक के भरोसे बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे हैं, जो िक्षा की गुणवत्ता को घटाता है यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम भारतीय िक्षण संस्थानों को शीर्ष 200 वि"व रैंकिंग में जगह मिलती है। िक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती वि"विद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रद"नि सुनि"चित करने से सम्बन्धित सूत्र को लागू करना भी है। आज दुनिया के कई वि"विद्यालयों में अपने साथियों और छात्रों के प्रद"नि के आधार पर िक्षकों के प्रद"नि का मूल्यांकन किया जाता है। श्वास और बकेट लिस्ट मसौदे में त्रिभाषी नीति भी नई िक्षा नीति-2020 के सामने एक चुनौती पे"ा कर रही है, जिसमें गैर हिन्दी भाषा क्षेत्रों में मातृ-भाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की सिफारि"ा की गई है। तीन भाषा सूत्र नया



नहीं है और पिछली शिक्षा नीतियों में 1968 और 1986 में इसकी पहले से ही सिफारिश की गई थी। निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि नीति-2020 सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियाँ सराहनीय नहीं रही हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को यहां लागू करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत, शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिकों सामाजिक संस्थाओं, विरोधियों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। शैक्षिक संस्थान, कार्यान्वयन एजेंसियों, छात्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के नेताओं के बीच एक सहजीवी सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए, नवाचारों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है। जिसमें रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक संस्थानों से जुड़े हों। इसके अलावा कार्पोरेट प्रतिष्ठानों के विरोध महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और देश के डाक्टरों और पोस्ट-डॉक्टरल प्रोग्रामों के अनुसंधान के लिए वित्त प्रदान करना चाहिए।

एक मजबूत रेटिंग प्रणाली विरोधियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और उनके प्रदर्शन में सुधार करेगी। भारतीय विरोधियों अभी भी दुनिया के शीर्ष 200 रैंक वाले विरोधियों में शामिल नहीं हैं शिक्षा इस सम्बन्ध में विरोधियों और शिक्षाविदों को सम्बन्धित मानकों में आत्मनिरीक्षण और सुधार करना चाहिए। स्कूली शिक्षा में सुधार के अलावा शिक्षण और प्रशिक्षण विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए एक ओर संस्थान की स्वायत्तता की वकालत की जाती है, जबकि दूसरी ओर मौजूदा व्यवस्था में यदि आप विरोधियों के भीतर एक संगोष्ठी तक आयोजित करना चाहते हैं। तो आपको कुलपति से अनुमति लेनी होगी। एक और उदाहरण में, एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की जाती है और दूसरी तरफ देश की सरकार के मंत्री ऐसे भाषण देते हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह इस नई शिक्षा नीति-2020 का वक्तव्य बहुत अच्छा है बशर्तें यह वास्तव में लागू हो। यदि सरकार इसे अपनी भावना और मन में लाये और इसके आधार पर मूल ढांचे को बदलने के इरादे से पूरी शैक्षिक संरचना पर काम करे तभी कुछ संभव है। सिर्फ अच्छे शब्दों से काम नहीं चलेगा। इसके क्रियान्वयन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। हम आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि सरकारें नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार कानूनों को बदलने के बाद आवश्यक अतिरिक्त बजट प्रदान करने और उसे खर्च करने में सक्षम हैं या नहीं।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का उद्देश्य ऐसी शिक्षण प्रणाली विकसित करना है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले और उनका विकास हो। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में विरोध शिक्षा क्षेत्र भी स्थापित किए जायें। वर्ष 2030 तक सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना भी शिक्षा नीति का हिस्सा है। उच्च शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार करते हुए देश में विरोधकारी और विविध विषयों पर आधारित उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है सभी उच्च शिक्षण बहुविषयक संस्थानों में होंगे। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से सभी विषयों और क्षेत्रों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने वाले बहुविषयक संस्थान, जो भारत में उच्च शिक्षा में अनिवार्य अंग होगा। उच्च गुणवत्ता पर आधारित



तीन प्रकार के संस्थान होंगे। जिसमें पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार और विकास होगा। भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। अगले पांच वर्षों के भीतर प्रत्येक जिले में कम से कम एक टाइप-1 संस्थान होगा। सभी उच्च शिक्षा संस्थान या तो विविद्यालय होंगे या डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय। किसी प्रकार के विविद्यालय या महाविद्यालय नहीं होंगे। छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए कल्पनाशील और व्यापक तौर पर उदार शिक्षण व्यवस्था बनाने की पहल होगी। चुने गए विषय और में विशेषज्ञता पर जोर दिया जाएगा।

21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु जिस नई शिक्षा नीति-2020 को अपनाया जा रहा है यदि इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी-देशों के समकक्ष ले जायेगी। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून- 2009 के तहत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात् प्रारम्भ की जा रही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल, इंटेलिजेंस, थ्री डी मॉडलिंग, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल कामगार तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ / पत्र-पत्रिकाएँ

1. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति'-2020
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
2. नई शिक्षा नीति-2020: उच्च शिक्षा पर धारणा
एम.एल. गोयल
3. Chaube S.P. (1988) History And Problems & Indian Education
(Second Edi.) Vinod Pustak Mandir, Agra U.P.
4. Rawat P.L.: History of Indian Education
(Ram Prasad & Sons, Agra U.P.)
5. भारत में शिक्षा नीति की दिशा एवं दिशा
(Ram Prasad & Sons, Agra U.P.)
6. भारतीय आर्थिक समस्याएँ: टी.आर. जैन तथा मुकुंदा जैन
(Global Publication PVT Ltd, New Delhi)
7. Indian Economy: V.K.Puri & S.K. Mishra
(Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.)
8. दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं सम-सामयिक पत्रिकाएँ।